राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(कर अनुभाग)

अधिसूचना
जयपुर, दिनांक : अक्टूबर 13, 2016

सं. एफ.12(34)एफ.डी./टैक्स/2015–22:– राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ.12(34)एफ.डी./टैक्स/2015–22 दिनांक 01.06.2016 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है :–

राज्यपाल के आदेश से,

(हृदयेश कुमार जुनेजा)
संयुक्त शासन सचिव

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)
"अधिसूचना
जयपुर, दिनांक : 1 जून, 2016

राजस्थान विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1962 (1962 का अधिनियम सं. 12) की धारा 3 के परन्तुक के खण्ड (3) के साथ पठित धारा 3ग की उप–धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोक हित में ऐसा किया जाना समीचीन है, किसी व्यक्ति द्वारा उसके स्वयं के उपयोग या उपभोग के लिए कैप्टिव ऊर्जा जनरेटिंग संयंत्र द्वारा स्वजनित ऊर्जा पर संदेय नगरीय उपकर के संदाय से, इसके द्वारा, दिनांक 01.04.2010 से, इस शर्त के अध्यधीन छूट देती है कि पूर्व में जमा कराया गया नगरीय उपकर प्रतिदत्त नहीं किया जायेगा।

[सं. एफ.12(34)एफ.डी./टैक्स/2015–22]
राज्यपाल के आदेश से,

ह0
(डॉ. देवराज)
संयुक्त शासन सचिव"

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को सॉफ्ट कॉपी सी.डी. में संलग्न प्रेषित कर लेख है कि इस अधिसूचना का आज के असाधारण राजपत्र के भाग-4 (ग) में प्रकाशन करावें। यह भी लेख है कि इस अधिसूचना की 10 प्रति इस विभाग को तथा 10 प्रति मय बिल के आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर को भेजें। कृपया सी.डी. में उपलब्ध सॉफ्ट कॉपी का संलग्न हस्ताक्षरित आदेश से मिलान कर प्रकाशन करावें।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री (वित्त मंत्री) महोदया।
3. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व)।
7. निदेशक, जनसंपर्क, जयपुर।
8. अतिरिक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इस अधिसूचना को वित्त विभाग की वेबसाईट पर अपलोड़ करावें।
9. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव